ेषक,

निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. **समस्त अपर निदेशक, ग्रेड-2,**
   पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,**
   पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

संख्या:- 169 /सा0-1/एक्स-160/एफ0एम0डी0-सी0पी0/सामान्य मद/2016-17, दिनांक 7-06-2016

विषय:- **डिजीज फ्री जोन की स्थापना (के.60/रा.40-के.+रा.) योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आवंटित धनराशि व्यय के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0-39/बजट/29(5)/अनु0-15/03/2016-17 दिनांक 04.05.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि रू0 2200.00 लाख का आवंटन करते हुए केन्द्रांश की प्रत्याशा में व्यय न करने के संबंध में निर्देश दिये गये थे।

उक्त के संबंध में सूचित करना है कि आवंटित सीमा तक केन्द्रांश प्राप्त हो गया है। अत: आवंटन आदेश में इंगित बिन्दुओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार आवंटित धनराशि का व्यय करना सुनिश्चित करें। विचलन की दशा में आहरण-वितरण अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे। मानक मद 07-मानदेय में आवंटित धनराशि का व्यय पैरावेटों के मानदेय हेतु आवंटित किया गया है। यदि आवंटित धनराशि में से पैरावेटों का भुगतान अवशेष रह जाता है तो मानक मद 42-अन्य व्यय में आवंटित धनराशि से भुगतान किया जायेगा। मानक मद-43 सामग्री सम्पूर्ति मद में आवंटित धनराशि कोल्ड चैन की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु आवंटित की गयी है।

भवदीय,

(ए0एन0 सिंह)
निदेशक
रोग नियंत्रण एंव प्रक्षेत्र

संख्या:-169 /सा0-1/एक्स-160/एफ0एम0डी0-सी0पी0/सामान्य मद/2016-17, दिनांक 7.6.2016

प्रतिलिपि-आहरण-वितरण अधिकारी, मुख्यालय को विभिन्न मानक मदों में आवंटित धनराशि का व्यय आवंटन आदेश में इंगित बिन्दुओं के आलोक में नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करें। विचलन की दशा में आहरण-वितरण अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

मानक मद-43 सामग्री सम्पूर्ति मद में आवंटित धनराशि से एफ0एम0डी0 वैक्सीन का क्रय किया जाना है। संदर्भित मद में आवंटित धनराशि का व्यय योजनाधिकारी की अनुमति के उपरान्त ही व्यय किया जायेगा।

(ए0एन0 सिंह)
निदेशक
रोग नियंत्रण एंव प्रक्षेत्र